न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– **146 / 2023**

GCMS NO. 2023/423

1. जगदीश सिंह पुत्र स्व. श्री जलसिंह
2. शैतान सिंह पुत्र स्व. श्री जलसिंह
3. करण सिंह पुत्र स्व. श्री रघूवीर सिंह
4. रामोतार सिंह पुत्र स्व. श्री रघूवीर सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

..................**प्रार्थीगण**

– बनाम –

1. मोहन सिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह
2. विजयसिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह
3. इन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह
4. प्रतापसिंह पुत्र स्व. श्री किशन सिंह
5. बिशनी देवी पत्नी स्व. श्री रामसिंह नवीरा किशन सिंह
6. अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री रामसिंह नवीरा किशन सिंह
7. चवली देवी पत्नी स्व. श्री कंवर सिंह नवीरा किशन सिंह
8. निकिता पुत्री स्व. श्री कवंर सिंह नवीरा किशन सिंह
9. संतोष पुत्री स्व. श्री कवंर सिंह नवीरा किशन सिंह
10. हंसा बाई पुत्री स्व. श्री कवंर सिंह नवीरा किशन सिंह समस्त निवासी दीपास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.
11. सुरेश पुत्र मालाराम जाति अहीर निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)
12. रामसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं
13. बंजरग सिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत निवासी बसई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं
14. इण्डियन ओवरसीज बैकं कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक
15. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैकं शाखा बसई तहसील खेतड़ी जरिये शाखाप्रबन्धक
16. राजस्थान सरकार जरिये भूस्वामी तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

.... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 / 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री हवासिंह बबेरवाल– अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 एवं 9, 10 की एक पक्षीय कार्यवाही

–: निर्णय :– दिनांक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:02:01 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से [illegible] है कि ग्राम बसई में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 तक के खसरा नम्बर 1080/788 [illegible] 0.39 हैक्टर, ख.न. 1078 / 458 रकबा 0.0293 है. ख.न. 1083 / 788 रकबा 0.39 है, ख.न. 1077 / 458 रकबा 0.0239 है, ख. न. 1082 / 788 रकबा 0.39 है., ख.न. 1076 / 458 रकबा 0.0293 है., एवं ग्रा[illegible] में स्थित खेसरा नम्बर 1035 / 5 रकबा 0.7725 है., 1034 / 5 रकबा 0.7725 है., 1037 / 5 रकबा 0.7725 है. के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि प्रार्थना पत्र के खण्ड नम्बर 1 में

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

वर्णित भूमि के मेढ़ (म्याल) सीमा लगती हुई भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की खातेदारी की भूमि सींव/मेढ़/सीमा जोड़ स्थिती में हैं जिस पर सभी पक्षकारान कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थी संख्या 11 का खेत खाता संख्या 344 की भूमि व अप्रार्थी संख्या 12 की खाता संख्या 163 की भूमि एवम् अप्रार्थी संख्या 13 की भूमि खाता संख्या 358 मौज बसई की भूमि प्रार्थीगण की भूमि के सींव को जोड़कर स्थित हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि तहसीलदार खेतड़ी से दिनांक 28.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया व निशानात लगवाऐ गऐ हैं। प्रार्थीगण की भूमि के लगती हुई भूमि अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 की भूमि होने से हमेशा सीमा व मेड़ का विवाद रहता हैं तथा प्रार्थीगण कब्जे काश्त में दखलदाजी रहती हैं। आये दिन विवाद होते रहते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के बीच खाता विभाजन भी हो चुका हैं। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 दखलदाजी डालते रहते है व प्रार्थीगण की भूमि पर लगातार कब्जा काश्त करने की कोशिश करते रहते है व लगातार धमकियां भी देते रहते हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के बीच में प्रार्थना पत्र के खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि से लगती हुई व मेड़/सीमा होने से झगड़े हो गये है व मारपीट भी हो गई है जिसकी दिनांक 06–07–2023 को पुलिस थाना मेहाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं जिसके एफ.आई.आर. नं. 116/23 है तथा दिनांक 05 07 2023 में दर्ज मुकदमें में एफ.आई.आर नं. 111/23 हैं जो दौराने अनुसंधान चल रहे हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 उक्त सीमा ज्ञान को नहीं मान रहे है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 मौका देखकर प्रार्थीगण की भूमि की सीमा को तोड देते है एवं सीमा चिन्हो को नष्ट कर देते। जब प्रार्थीगण मना करते है तो मारपीट करने पर आमादा हो जाते। इसलिये यह आवेदन पत्र प्रार्थीगण की खण्ड नं. 1 में वर्णित भूमि की पत्थर गढीकरवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम बसई में स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 तक के खसरा नम्बर 1080/788 रकबा 0.39 हैक्टर, ख.न. 1078/458 रकबा 0.0293 है., ख.न 1083/788 रकबा 0.39 है., ख.न. 1077/458 रकबा 0.0239 है., ख.न. 1082/788 रकबा 0.39 है., ख.न. 1076/458 रकबा 0.0293 है., एवम ग्राम टीबा स्थित खसरा नम्बर 1035/5 रकबा 0.7725 है., 1034/5 रकबा 0.7725 है., की चारो दिशाओ की सर्वेसीट से नपती करवाकर प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओ पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर के पिलर लगवाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या नया ग्राम पेश की गई।

पत्रावली पेश हुई। विद्वान योग्य अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस समाहत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम बसई तहसील खेतडी स्थित भूमि के खसरा नम्बर 1078/458, 1083/788, 1077/458, 1082/ 788, 1076/458, तथा ग्राम टीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 1035/5, 1034/5, 1037/5 फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2023 के आधार पर सर्वेसीट से उभय पक्षकरान की उपस्थिति में पुनः नपती करवाकर 1000/– रूपये फीस पर सीमा कायम कर सीमांकन के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थीगण के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवायें।

निर्णय आज दिनांक 02/12/25 को मेरेद्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गय ा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:02:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील ... चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं